

~~सुरेस~~ बनाम रामप्रकाश उपा०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

करण संख्या ..... 72 / 2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		
30/4/26	<p>पजावली पेसा दुई वकील उभापक्ष उपा० का क्षेत्र उभापक्षिण की लक्ष्मी देव वकील पक्षी लखाना पेसा करी लक्ष्मी जी देव पजावली दिनांक 3/6/26 को पेसा है।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> शाहपुरा (जयपुर) राज.</p>	
3/6/26	<p>पजावली पेसा दुई वकील उभापक्ष उपा० का क्षेत्र उभापक्षिण की लक्ष्मी देव वकील लक्ष्मी देव सूचना कि उपस्थित नहीं मिले किरुड एक पक्षीय कर्मचारी उभापक्ष लक्ष्मी जाली है वकील उभापक्ष द्वारा जा० पञ अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। वकील उभापक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभापक्ष की बहस पर मनन किया गया। पजावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त आदिश होता है कि मूल दाया बंधारा का है मूल वाद के निस्तारण एक जा० पञ अस्थायी निषेधाज्ञा को स्थायी किया जाना उचित समझते है।</p> <p>आदि: इस आदेश के आदेश दिनांक 27/7/2023 के द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण एक स्थायी किया जाकर दोनों पक्षों को बाबन्द किया जाता है पजावली मूल लक्ष्मी देव वकील लक्ष्मी देव लेकर मूल वाद के हलफिया रहे।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> शाहपुरा (जयपुर) राज.</p>	